दिनांक 16.06.2025
प्रेस विज्ञप्ति 25/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा वेहतर Citizen Service देने के निमित्त Behavioural Training Programme के सम्बन्ध में कार्यशाला का किया गया उद्घाटन

मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 के मंशानुरूप पुलिस बल को और अधिक सद्व्यवहार, संचार एवं व्यवहारिक कुशलता का प्रशिक्षण प्रदान कराये जाने के क्रम में आज दिनांक 16.06.2025 को क्षमता निर्माण आयोग (सी०बी०सी०) भारत सरकार के सहयोग से उनके नॉलेज पार्टनर इल्युमिन द्वारा प्रशिक्षण निदेशालय में पांच दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। **मुख्य अतिथि श्री राजीव कृष्ण पुलिस महानिदेशक उ0प्र0** द्वारा कार्यशाला का उद्घाटन किया गया।

इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण श्रीमती तिलोत्तमा वर्मा, क्षमता निर्माण आयोग के सदस्य डॉ0आर0 बालासुब्रमण्यम, अपर पुलिस महानिदेशक श्री बी. डी. पॉल्सन एवं पुलिस महानिरीक्षक श्री चन्द्र प्रकाश उपस्थित रहें।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय कर्मयोगी मिशन एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण (IGot) पोर्टल के माध्यम से सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण और कौशल विकास के द्वारा क्षमता निर्माण, नवाचार को बढ़ावा, काम काज में पारदर्शिता एवं जनता के प्रति जवाबदेही सीखने के लिये प्रोत्साहित एवं प्रेरित करता है।

इस अवसर पर **महानिदेशक पुलिस, प्रशिक्षण श्रीमती तिलोत्तमा वर्मा** द्वारा नवनियुक्त रिक्रूट आरक्षियों के प्रशिक्षण को उच्च कोटि बनाये जाने के दृष्टिगत आरक्षी नागरिक पुलिस के आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में IGot को सम्मिलित किया गया है जिसमें प्रशिक्षु आरक्षियों को IGot पोर्टल पर उपलब्ध दो कोर्सेस को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा सद्व्यवहार पर प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा पूर्व में आयोजित की गयी अनेको कार्यशाला के सम्बन्ध में अवगत कराया गया एवं बताया गया कि क्षमता निर्माण आयोग (सी०बी०सी०) भारत सरकार के माध्यम से पांच दिवसीय सद्व्यवहार (Soft skill) कार्यशाला का आयोजन किया गया है जिसके माध्यम से लीड ट्रेनर्स तैयार किये जायेगें जो संस्थानों में नियुक्त अध्यापकों को सद्व्यवहार में 03 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान कर लीड कोचेस तैयार किये जायेगें, जो नवनियुक्त 60,244 रिक्रूट आरक्षियों को सद्व्यवहार, संचार एवं व्यवहारिक कुशलता प्रशिक्षण प्रदान करेगें।

क्षमता निर्माण आयोग (सी०बी०सी०) भारत सरकार के सदस्य डॉ. आर. बालासुब्रमण्यम द्वारा एम.बी.बी.एस. हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड हेल्थ सिस्टम मैनेजमेन्ट में BITS, PILANI से M.Phil की उपाधि प्राप्त कि गयी है तथा डॉ. आर. बालासुब्रमण्यम विकास कार्यकर्ता, लीडरसीप ट्रेनर विचारक एवं लेखक हैं इसके अतिरिक्त पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में Harvard Kennedy School, Harvard University द्वारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया गया है व Grassroots research and Advocacy Movement. A public policy think tank in India के फाउन्डर एण्ड चेयरपर्सन भी है। इस अवसर पर राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की अवधारणा के सम्बन्ध में व्याख्यान दिया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागियों एवं ऑनलाइन जुड़े पुलिस प्रशिक्षण संस्थानो के प्रभारियों को अपने सम्बोधन के माध्यम से प्रशिक्षण का महत्व एवं पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों में बदलती हुई संचार कुशलता एवं सद्व्यवहार के सम्बन्ध में सम्बोधित किया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के सम्बोधन के प्रमुख बिन्दुः-

- पिछले 25 से 30 वर्षो में पुलिस के व्यवहार में सार्थक परिवर्तन आया है।
- इंडक्शन ट्रेनिंग प्रारम्भिक और व्यवस्थित प्रशिक्षण होता है, जिसका प्रशिक्षुओं के पूरे कैरियर पर गहरा प्रभाव पड़ता है।
- 60,244 आरक्षियों को यूनिफार्म, आडियो विजुअल कन्टेन्ट के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाये, जिसे सभी 112 सेन्टर्स पर प्रशिक्षण में इस्तेमाल किया जाय।
- 60 हजार आरक्षियों को प्रशिक्षित करने का यह एक सुनहरा अवसर है, जिसका हमे समुचित ढंग से उपयोग करना चाहिये।
- प्रशिक्षण में प्राप्त सिखलाई और फील्ड के व्यवहारिक अनुभव में हमे संतुलन स्थापित करना चाहिये और इसके मध्य एक **"स्वीट स्पाट"** है।
- पुलिस की बिहेवियरल ट्रेनिंग और कम्यूनिकेशन अत्यन्त महत्वपूर्ण है, जिससे हमे Internalise करना चाहिये और उसके प्रति हमारा Conviction होना चाहिये।
- कुम्भ में पुलिस कार्मियों के द्वारा श्रद्धालुओं से सद्व्यवहार निरन्तर प्रशिक्षण, ब्रीफिंग एवं काउन्सलिंग के कारण संभव हो पाया।

तत्पश्चात प्रशिक्षण संस्थानो के प्रमुखों द्वारा प्रशिक्षण के सम्बन्ध में अपने विचारो को साझा किया गया। अपर पुलिस महानिदेशक पी.टी.एस. उन्नाव श्री नवनीत सिकेरा द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा 32 पी.टी.आई. को विशेष प्रशिक्षण प्रदान कर हेल्थ कोचेस बनाया गया है जो रिक्रूट प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करेगें जिनका प्रस्तुतिकरण शीघ्र पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के समक्ष किया जायेगा।

अन्त में पुलिस महानिदेशक महोदय ने प्रशिक्षण संस्थानो के प्रभारियों को प्रशिक्षण में विशेष योगदान देने व प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया।

डॉ.आर बालासुब्रमण्यम,
श्री राजीव कृष्णा,
पुलिस महानिदेशक,
श्रीमती तिलोत्तमा वर्मा,
पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण,
डॉ. बी.डी.पॉल्सन
उत्तर

दिनांक 16.06.2025
प्रेस विज्ञप्ति 26/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

एस0टी0एफ0–इन्फ्रा विजन प्रा0लि0 कम्पनी द्वारा आकर्षक एवं लुभावने ऑफर दिखाकर फर्जी तरीके से जमीनों की रजिस्ट्री कराकर ठगी करने एवं लगभग डेढ दर्जन से अधिक मुकदमों में वांछित अभियुक्त प्रमोद कुमार उपध्याय गिरफ्तार।

दिनांक 15–06–2025 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को इन्फ्रा विजन प्रा0लि0 कम्पनी द्वारा आकर्षक एवं लुभावने ऑफर दिखाकर फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराकर ठगी करने एवं थाना मोहनलालगंज, लखनऊ पंजीकृत मु०अ०सं० 101/25 धारा 406, 504, 506 भा०दं०वि० सहित लगभग डेढ़ दर्जन से अधिक अभियोगों में वांछित अभियुक्त प्रमोद कुमार उपाध्याय को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः</u>

1– प्रमोद कुमार उपाध्याय पुत्र हरिद्वार उपाध्याय निवासी 11बी/25 आवास विकास वृन्दावन योजना 3 सेक्टर –11बी थाना पीजीआई लखनऊ मूल पता ग्राम खरौनी थाना बांसडीह जनपद बलिया उ0प्र0।

<u>गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः–</u>

ज्योतिनगर मोड़ के पास कान्हा उपवन, थाना मोहनलालगंज, लखनऊ, दिनांकः 15–06–2025, समय 17:10 बजे।

एसटीएफ उ0प्र0 को विगत कुछ दिनों से फरार एवं पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री लाल प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ उ0प्र0 के पर्यवेक्षण में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में एसटीएफ टीम जनपद लखनऊ में भ्रमणषील थी। इस दौरान सूचना प्राप्त हुई कि थाना मोहनलालगंज, लखनऊ में पंजीकृत मुकदमों में वांछित अभियुक्त प्रमोद कुमार उपाध्याय अपने कान्हा उपवन मोहनलालगंज के कार्यालय पर महत्वपूर्ण अभिलेखों को हटाये जाने के लिए आने वाला है। प्राप्त सूचना पर विश्वास कर निरीक्षक श्री आदित्य कुमार सिंह, मु0आ0 सुनील सिंह, मु0आ0 अखिलेश, मु0आ0 शेरबहादुर की टीम द्वारा ज्योतिनगर मोड़ के पास, थाना क्षेत्र मोहनलालगंज, लखनऊ से अभियुक्त प्रमोद कुमार उपाध्याय उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त प्रमोद कुमार उपाध्याय उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि मेरे बड़े भाई विनोद कुमार उपाध्याय एवं मेरे पिता द्वारा इन्फ्रा विजन प्रा0लि0 कम्पनी स्थापित की गयी है। मैं कम्पनी का अधिकृत व्यक्ति था, हम लोग मिलकर कम्पनी के नाम जमीन खरीदकर कस्टमरों को प्लान बता कर बेचते थे। हम लोगों द्वारा भोले–भाले व्यक्तियों को लक्ष्य बनाकर उन्हें आकर्षक एवं लुभावने ऑफर बताकर प्लॉट खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता था। हम लोग अपने आप को प्रतिष्ठित रियल एस्टेट कंपनी का प्रतिनिधि दर्शाते हुए प्लॉट की बिक्री की बात करते थे। जब लोगों द्वारा बताए गए प्लॉट की रजिस्ट्री करवा ली जाती थी, तो उन्हें बाद में यह ज्ञात होता था कि संबंधित भूमि अस्तित्व में ही नहीं है, अथवा उस पर हम लोगो का कोई वैध स्वामित्व नहीं है। परिणामस्वरूप, पीड़ितों को न तो भूमि का कब्जा मिल पाता था और न ही निवेश की गई धनराशि मिल पाती थी। धोखाधड़ी उजागर होने के बाद हम लागों द्वारा पीड़ितों को आश्वासन दिया जाता था कि जल्द ही धनराशि वापस कर दी जाएगी। विशेष रूप से अभियुक्त द्वारा ऐसे व्यक्तियों को निशाना बनाया जाता था, जो व्यस्ता के चलते वे केवल एक–दो बार ही भूमि का निरीक्षण कर पाते थे। इसका फायदा उठाते हुए उन्हें कोई भी फर्जी या विवादित भूमि दिखाकर रजिस्ट्री करवा देते थे।

इस तरह अभियुक्तों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से सैकड़ो लोगों को धोखा देकर आर्थिक लाभ अर्जित किया है। इसके द्वारा धोखाधड़ी से बेचे गये प्लाटों को से जो धन अर्जित हुआ है उससे जनपद खलीलाबाद, प्रतापगढ़ व रक्सौल स्थानो पर काम्पलेक्स आदि में इन्वेस्ट किया गया है। कम्पनी के निदेशक के सम्बन्ध में बताया कि उसके बड़े भाई विनोद उपाध्याय के अलावा उसके पिता हरिद्वार उपाध्याय कम्पनी के निदेशक थे। लगभग एक वर्ष पूर्व इसके पिता की मृत्यु हो चुकी है परन्तु कम्पनी के वेबसाइट से नाम परिवर्तित नहीं हो पाया है। जब इसे पता चला कि इसके विरुद्ध प्लाट खरीदने वाले लोगों द्वारा इसके व इसके भाई के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है तबसे यह गिरफ्तारी से बचने के लिए लुकछिप कर रह रहा था एवं आशियाना में स्थापित कार्यालय को बंद कर दिया था तथा कान्हा उपवन स्थित कार्यालय को भी पहले ही बंद कर दिया था। यहॉ से सब कुछ समेटने के बाद चोरी छिपे देश के बाहर भागने वाला था। अन्य तथ्यों के सम्बन्ध में छानबीन की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना थाना मोहनलालगंज, लखनऊ में पंजीकृत अभियोगों में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

<u>प्रमोद कुमार उपाध्याय का अपराधिक इतिहासः</u>

1– मु0अ0सं0 851/2017 धारा 147,148,149,323,342,406,420,427,452,504,506 भादवि थाना सरोजनीनगर लखनऊ।

2— मु0अ0सं0 482 / 2022 धारा 406,504,506 भादवि थाना सरोजनीनगर लखनऊ।

3— मु0अ0सं0 120 / 2020 धारा 406,506 भादवि थाना कैण्ट लखनऊ।

4— मु0अ0सं0 501 / 2023 धारा 347,420,504,506 भादवि थाना आशियाना लखनऊ।

5— मु0अ0सं0 205 / 2025 धारा 406,420,504,506 भादवि थाना आशियाना लखनऊ।

6— मु0अ0सं0 318 / 2024 धारा 147, 148, 149, 160, 188, 268, 307, 323, 325, 336, 352, 427, 504, 506 भादवि व 25 / 27 / 30 आयुध अधि0 व 3(2)(ट) एससीएसटी अधि0 थाना पीजीआई, लखनऊ।

7— मु0अ0सं0 322 / 2024 धारा 147,148,149,160,188,268,307,323,325,336,352,427, 504,506 भादवि थाना पीजीआई लखनऊ।

8— मु0अ0सं0 10 / 2024 धारा 504,506 भादवि थाना मोहनाललगंज लखनऊ।

9— मु0अ0सं0 111 / 2024 धारा 406,420 भादवि थाना मोहनलालगंज लखनऊ।

10— मु0अ0सं0 418 / 2024 धारा 406,420 भादवि थाना मोहनलालगंज लखनऊ।

11— मु0अ0सं0 592 / 2024 धारा 406 भादवि थाना मोहनलालगंज लखनऊ।

12— मु0अ0स0 101 / 25 धारा 406,504,506 भादवि0 थाना मोहनलालगंज लखनऊ।

13— मु0अ0सं0 110 / 2025 धारा 406,420,409 भादवि0 थाना मोहनलालगंज लखनऊ।

14— मु0अ0स0 111 / 25 थारा 316 (2) बीएनएस थाना मोहनलालगंज लखनऊ।

15— मु0अ0सं0 112 / 25 धारा 406 भादवि0 थाना मोहनलालगंज लखनऊ।

16— मु0अ0सं0 113 / 25 धारा 406,420,506 भादवि0० थाना मोहनलालगंज लखनऊ।

17— मु0अ0सं0 114 / 2025 धारा 406,420,504,506 भादवि थाना मोहनलालगंज लखनऊ।

18— मु0अ0सं0 115 / 25 धारा 406,420,504 भादवि0 थाना मोहनलालगंज लखनऊ।

19— मु0अ0सं0 120 / 25 धारा 406,420,504 भादवि0 थाना मोहनलालगंज लखनऊ।

20— मु0अ0सं0 123 / 25 धारा 406,504,506 भादवि० थाना मोहनलालगंज लखनऊ।

21— मु0अ0सं0 124 / 25 धारा 406 भादवि0 थाना मोहनलालगंज लखनऊ।

22— मु0अ0सं0 126 / 25 धारा 420,406,504,506 भादवि, थाना मोहनलालगंज लखनऊ।

23— मु0अ0सं0 153 / 25 धारा 420,406 भादवि, थाना मोहनलालगंज लखनऊ।

24— मु0अ0सं0 154 / 25 धारा 420,406 भादवि, थाना मोहनलालगंज लखनऊ।

25— मु0अ0सं0 157 / 25 धारा 420,406 भादवि, थाना मोहनलालगंज लखनऊ।

26— मु0अ0सं0 158 / 25 धारा 420,406,504,506 भादवि, थाना मोहनलालगंज लखनऊ।

27— मु0अ0सं0 159 / 25 धारा 420,406 भादवि, थाना मोहनलालगंज लखनऊ।

28— मु0अ0सं0 160 / 25 धारा 406,504,506 भादवि थाना मोहनलालगंज लखनऊ।

29— मु0अ0सं0 165 / 25 धारा 420,406,506 भादवि, थाना मोहनलालगंज लखनऊ।

30— मु0अ0सं0 169 / 25 धारा 406,504,506 भादवि, थाना मोहनलालगंज लखनऊ।

जनपद मेरठ/थाना सिविल लाइन

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनांक 15/16.06.2025 को थाना सिविल लाइन व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर यादगारपुर चेक पोस्ट के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश द्वारा ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त आशीष घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मेरठ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना सिविल लाइन पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आशीष निवासी ग्राम लालपुर थाना खरखौदा जनपद मेरठ।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस।

2—01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

जनपद अमरोहा/थाना हसनपुर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 11 लाख 80 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 02 कुन्तल 12 किलो 42 ग्राम अवैध अफीम डोडा पोस्ता**
- **01 पिकअप वाहन आदि बरामद**

दिनांक 16.06.2025 को थाना हसनपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हैबतपुर रोड कब्रिस्तान के पास से 03 अभियुक्तों 1–अबरार 2–गयूर 3–जीशान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 11 लाख 80 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 02 कुन्तल 12 किलो 42 ग्राम अवैध अफीम डोडा पोस्ता, 01 पिकअप वाहन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना हसनपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अबरार निवासी कुण्डा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर, हालपता अब्दुल्ला कॉलोनी कस्बा व थाना हसनपुर जनपद अमरोहा।

2–गयूर निवासी अब्दुल्ला कॉलोनी कस्बा व थाना हसनपुर जनपद अमरोहा।

3–जीशान निवासी अब्दुल्ला कॉलोनी कस्बा व थाना हसनपुर जनपद अमरोहा।

बरामदगी

1–लगभग 11 लाख 80 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 02 कुन्तल 12 किलो 42 ग्राम अवैध अफीम डोडा पोस्ता।

2–01 पिकअप वाहन आदि।

➢ **जनपद प्रतापगढ़/थाना रानीगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना रानीगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत

अभियुक्त सादाब को आजीवन कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फिरोजाबाद/थाना नसीरपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फिरोजाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फिरोजाबाद द्वारा थाना नसीरपुर पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–पवन को धारा 302/201/120बी भादवि व 25/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 63 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 2–संजू को धारा 302/201/120बी भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 53 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सिद्धार्थनगर/थाना त्रिलोकपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कठोर कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा थाना त्रिलोकपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त कृष्णा उर्फ बलराम को आजीवन कठोर कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फतेहगढ़/थाना मऊदरवाजा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फतेहगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहगढ़ द्वारा थाना मऊदरवाजा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त गगन को आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फिरोजाबाद/थाना उत्तर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फिरोजाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फिरोजाबाद द्वारा थाना उत्तर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त आकाश को आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————